

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.co वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.55( )/सीई/डीएलबी/एसबीएम/2022/88959-592

दिनांक:- 12/10/2022

जिला कलेक्टर,  
समस्त, राजस्थान।

विषय:- नगरीय निकाय क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने वावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है दिनांक 11.10.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में शहरों में आगामी त्यौहारों को देखते हुए सफाई व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से किये जाकर शहरों में स्वच्छता का स्तर सुधारा जाना है। इस हेतु आप अपने जिले की नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस कार्य हेतु पाबन्ध करवाते हुए घर-घर कचरा संग्रहण, रोड़ स्वीपिंग, रोड़ साइड में घास/झाड़ियां की कटिंग एवं रोड़ की साफ सफाई का कार्य तथा समय पर कचरा उठवाये जाने इत्यादि की मॉनिटरिंग की जानी है।

इस क्रम में विभाग द्वारा आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद /पालिकाओं को पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आगामी त्यौहारों को देखते हुए शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था सुचारु रूप से करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करवाये तथा स्थानीय निकायों के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से साफ सफाई करवाने की सुनिश्चितता करवाये, जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सकें।



(डॉ. जोगाराम)  
शासन सचिव

क्रमांक: एफ.55( )/सीई/डीएलबी/एसबीएम/2022/88993-9242 दिनांक:- 12/10/2022  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. आयुक्त, नगर निगम, समस्त राजस्थान।
4. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन निकायों में साफ-सफाई के कार्य की मॉनिटरिंग कर निदेशालय में रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेश (17) डॉ. संजय कुमार शर्मा, डि.  
विभागीय सचिव पर भेजना है।

(हर्देश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव